बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर

एकलव्य भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.)
302015

क्रमांकः– प. 24/बा.शि.फा./आपकी बेटी/2015/1181 जयपुर, दिनांक :– 06/01/2021

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक /माध्यमिक (मुख्यालय)

विषयः–''आपकी बेटी योजना'' के प्रस्ताव दिनांक **20.01.2021** तक भिजवाने के क्रम में।

सन्दर्भ :– इस कार्यालय के पत्रांक प. 24/बा.शि.फा./आपकी बेटी/2015/1083–1148 जयपुर, दिनांक :–23.10.2020 एवं 1161 दिनांक 08.12.2020 के सन्दर्भ में ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि साधन विहीन बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने, राजकीय विधालयों में नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करने एवं साधनहीन बालिकाओं को शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उदेश्य से **'आपकी बेटी योजना'** राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पत्र 1(18)/शिक्षा–1/प्राशि/2004 जयपुर दिनांक 22.02.2005 के द्वारा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन के वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है। योजनार्न्तगत राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प 01(18)/प्राशि/आयो/2019/ दिनांक 31.05.2019 के अनुसार सत्र 2019–20 से राजकीय विधालययों मे अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 की बालिकाओं को 2100 रूपये तथा 9 से 12 बालिका को 2500 रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।

आपकी बेटी योजना के तहत बालिका शिक्षा फाउण्डेशन के द्वारा वर्ष 2019–20 सें कक्षा–1 से 12 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत **गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवनयापन कर रहे परिवारों की बालिकाएँ, जिनके माता–पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, तो ऐसी बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।**

अतः सत्र 2020–21 के लिए आपकी बेटी योजनान्तर्गत पात्र बालिकाओं की सूची दिनांक 31.12.2020 तक सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान एकलव्य भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015 को सूची, हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी अविलम्ब ई–मेल balikasf@gmail.com पर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था । छात्र हित के मध्यनजर दिनांक 20.01.2021 तक आवेदन इस कार्यालय को निम्न प्रारूप में प्रेषित करे।

क्र. सं.	छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	कक्षा	बी.पी. एल. नम्बर	माता/पिता किसका निधन हुआ	बैंक खाता संख्या	IFS कोड	बैंक का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

नोट :– उक्त सूची अग्रेजी में टाईप कर भिजवानी है। हिन्दी में भेंजी गई सूची स्वीकार नही की जायेगी।

उपरोक्त प्रारूप में कक्षा 1 सें 8 एवं कक्षा 9 से 12 की सूची अलग–अलग तैयार कर भेजनी है ध्यान रहें कि सूची में सभी कॉलम की पूर्ति आवश्यक रूप से कि जावे तथा निजी विधालयो की बालिकाओं को उक्त योजना में सम्मिलित नही किया जावे सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार योजना की राशि बालिकाओं के बैंक खातों में स्थानान्तरित की जावेगी अतः बैंक का विवरण आवश्यक रूप से जॉच

www.rajsevak.com

करके ही भेजा जावे, गलत खातें के विवरण की वजह से यदि बालिका के खातें में राशि स्थानान्तरित नही हो पायेगी तो इस का सम्पूर्ण उतरदायित्व आप स्वंय का होगा।

संलग्नः– आवेदन पत्र।

(महेश कुमार)
सचिव
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित :–

1 निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ।
2 रक्षित कार्यालय प्रति।

06/01/2021
(तेजपाल मूण्ड)
उपसचिव
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
जयपुर